महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड का कार्यालय
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), UTTARAKHAND

पत्रांक : 73/प्रशा-II/ए०जी०यू०के०(ले०एंव हक़०)/विविध/2023-24/58 दिनांक:-17/07/2023

कार्यालय आदेश

प्रायः यह देखने में आया है की खंडीय लेखाकार संवर्ग के कुछ कार्मिक बिना किसी उचित कारण के अथवा बिना किसी कार्य के कार्यालय महालेखाकार परिसर में देखे गए है, जो इस कार्यालय द्वारा जारी का० आ० सं० 73/प्रशा-II/ए०जी०यु०के०(ले० एवं हक०)/विविध पत्राचार/17 दिनांक 11.05.2022 की अवहेलना है| कार्यालय द्वारा इसे गंभीरता से लिया गया है|

अतः खंडीय लेखाकार संवर्ग के सभी कार्मिकों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में कोई भी कार्मिक बिना किसी उचित कारण के कार्यालय महालेखाकार परिसर में उपस्थित न हों| किसी अपरिहार्य कारण से इस कार्यालय में उपस्थित होने अथवा किसी उच्च अधिकारी से मिलने के लिए खंडीय लेखाकार संवर्ग के कार्मिकों अपने तैनाती खंड / मुख्यालय को छोड़ने से पूर्व सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी को सूचित करना होगा, तथा इस कार्यालय को ई-मेल भेजकर कार्यालय द्वारा नियत तिथि एंव समय पर ही कार्यालय में उपस्थित हो |

अन्यथा की दशा में सम्बंधित कार्मिकों के विरुद्ध केन्द्रीय सिविल सेवाएँ (आचरण) नियमावली, 1965 में उल्लेखित नियमों के अनुरूप कार्यवाही की जा सकती है |

हस्ता/-
वरिष्ठ उप महालेखाकार / प्रशासन

पत्रांक: 73/प्रशा-II/ए०जी०यू०के०(ले०एंव हक़०)/ विविध/2023-24/846-850 दिनांक:-17/07/2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव महालेखाकार प्रकोष्ठ, कार्यालय महालेखाकार उत्तराखंड देहरादून|
2. प्रभारी वरिष्ठ उपमहालेखाकार/प्रशासन प्रकोष्ठ, कार्यालय महालेखाकार उत्तराखंड देहरादून|
3. आई०टी०एस०जी० अनुभाग को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त कार्यालय आदेश को कार्यालय की वेबसाइट में खंडीय लेखाकार संवर्ग कार्नर में अपलोड करने की व्यवस्था करें |
4. समस्त खंडीय लेखाकार संवर्ग के कार्मिकों को कार्यालय की वेबसाइट के माध्यम से|
5. महासचिव, खंडीय लेखाकार संवर्ग संघ उत्तराखंड देहरादून|

वरिष्ठ लेखाधिकारी/प्रशा-II

"महालेखाकार भवन",कौलागढ़, देहरादून–248195 "Mahalekhakar Bhawan", Kaulagarh, Dehradun: 248195
दूरभाष / Telephone: 2970866, 2970867; फैक्स / Fax: 2970859
Website: agua.cag.gov.in, Email: agaeuttarakhand@cag.gov.in